

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 146 / 2025

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़



—:बनाम:—

योगेश कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार सिंधी (विक्रेता)  
मैसर्स:-राज ट्रेडिंग कंपनी, नजदीक मुस्लिम धर्मशाला, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील  
व जिला हनुमानगढ़।

निवासी:-वार्ड नं. 15, बरकत कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला  
हनुमानगढ़।

शुभम बंसल पुत्र जीवन कुमार (मैन्यूफेक्चर)  
मैसर्स:-शाने पंजाब फूड प्राइवेट लिमिटेड, अबोहर रोड, नजदीक एम.आर.एस.  
कॉलेज, मलोट, जिला मुक्तसर, पंजाब।

निवासी:-वार्ड नं. 02, मिनी नागपाल नगरी, मलोट, जिला मुक्तसर, राज्य पंजाब।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 54


उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं।

—:निर्णय:-

दिनांक :-12.05.2026

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 30.04.2023 को समय 02.15 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-राज ट्रेडिंग कंपनी, नजदीक मुस्लिम धर्मशाला, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर योगेश कुमार पुत्र विरेन्द्र कुमार सिंधी (विक्रेता) निवासी-वार्ड नं. 15, बरकत कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते बैग में लगभग 40 पैकेट Dhaniya Powder (Shane Punjab) रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अमानकता का शक होने पर विक्रेता से 02 किलोग्राम (04 पैकेट X 500 ग्राम) वजनी Dhaniya Powder (Shane Punjab) विक्रेता से नमूना जांच वास्ते क्रय करने की इच्छा व्यक्त की तथा विक्रेता को मौके पर ही फॉर्म नं. 05 ए भरकर दिया। जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता को उक्त Dhaniya Powder (Shane Punjab) के खरीद मूल का 330/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहन ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Dhaniya Powder (Shane Punjab) कुल 04 डिब्बे X 500 ग्राम वजनी पर चार लेबल तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर कर चिपकाया ऊपर से प्रत्येक सीलड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटा किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके-2260 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-2620 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सीलड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान

  
न्याय निर्णायक आधेकारी एवम्  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़

खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 622 दिनांक 10.05.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Food Containing Extraneous Matter प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/8089-90 दिनांक 16.05.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये जिन्होंने समस्त कागजातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायनिर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। लिखित अनुमति संलग्न परिवाद है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Food Containing Extraneous Matter खाद्य पदार्थ Dhaniya Powder (Shane Punjab) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 54 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Dhaniya Powder (Shane Punjab) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी-1 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी ने उक्त माल अप्रार्थी-2 से बंद पैकिंग में क्रय किया था। अप्रार्थी-1 ने खुद ये उत्पाद नहीं बनाया है। अप्रार्थी-2 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त धनिया पाउडर में लैब रिपोर्ट के अनुसार हल्दी की मात्रा पाई गई है। इस संबंध में अप्रार्थी निवेदन करना चाहता है कि मशीन पर धनिये की पिसाई से पूर्व हल्दी की पिसाई की गई थी जिसके कारण मशीन में हल्दी की कुछ मात्रा रह गई थी जिसकी वजह से सैंपलिंग में इसकी मात्रा पाई गई है। इसके अतिरिक्त धनिया पाउडर का उपयोग सब्जी बनाने में अक्सर किया जाता है एवं सब्जी में हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है। अतः धनिये में हल्दी पाउडर की मात्रा पाया जाना किसी भी तरीके से मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है। अप्रार्थी आश्चर्य करता है कि भविष्य में उक्त गलती का दोहराव नहीं होगा। अप्रार्थी ने कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Dhaniya Powder (Shane Punjab) की जांच में Food Containing Extraneous Matter की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Food Containing Extraneous Matter खाद्य पदार्थ Dhaniya Powder (Shane Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Food Containing Extraneous Matter कृत्य के लिए धारा 54 के तहत अप्रार्थी-1 पर 5,000/- (अखरे रुपये पांच हजार मात्र), अप्रार्थी-2 पर 10,000/- (अखरे रुपये दस हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 15,000/- (अखरे रुपये पंद्रह हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



301  
(उम्मेदी लाल मीना)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़